

## न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं.

/2018 पुनरीक्षण III/ग्रानी/रीवा/भू. ७/2018/2069

1. सीताराम पुत्र केमलाराम ब्रा.

सालिकराम पुत्र केमलाराम ब्रा.

दोनों निवासी ग्राम ढढनी तहसील मऊगंज

जिला रीवा (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरुद्ध

1. राजबहोर पुत्र रामवतार साहू

मुस. रमदेइया बेबा रामवतार साहू

दोनों निवासीगण ग्राम ढढनी तहसील  
मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज जिला रीवा द्वारा प्र.

कं. 168ए-74/15-16 में पारित आदेश दिनांक 13.3.18 के


विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत

पुनरीक्षण।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुबत्ति आदेश प्रस्तुत

प्रकरण क्रमांक ७१८।२११९नंभृ२८।१४।२०६९, सीलाराम /२। अब्दूर

| स्थान तथा<br>दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश  | पक्षकारों एवं<br>अभिभाषकों के<br>हस्ताक्षर |
|---------------------|---|--|
| 28।१२।१८            | <p>आवेदक की ओर से श्री ..... शुक्ल भाऊव अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी माझांज के प्रकरण क्रमांक १६८।A-७५।१५-१६ में पारित आदेश दिनांक १३।३।१८ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक २५-०९-२०१८ को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा ५० सहपठित संहिता की धारा ५४(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक ०३।०४।१९ को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>  |  |